फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 07/2023

श्री........ढोरी.. बनाम श्री........विमला..
....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
8/8/24	पत्रावली पैश हुई। प्रतिवादी संख्या संख्या 01, 02 जरिये अधिवक्ता प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 20.06.2024 पर गत सुनवाई पर विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौराने प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित कलमों को दोहराते हुए यह अनुरोध किया है कि वादीगण ने अपने प्रस्तुत किए गये वादपत्र के माध्यम से विवादित कृषि भूमि आराजियात जो कि वादीगण के पिता/पितामह/नाना स्व. श्री पन्ना जी कीर के पक्ष में आवंटित हुई होकर उनके खातेदारी अधिकारों में अभिलिखित होना बताया है। और उन्होने अपने जीवित रहते विवादित कृषि आराजियात में से 2.00 बीघा भूमि का प्रतिफल धनराशि प्राप्त कर रजिस्टर्ड बिकाव श्री जगदीश पिता बद्री दरोगा को किया जाना भी वादीगण ने माना है। इसी प्रकार से कालावधी में वादग्रस्त खसरान के अवशेष रहे रकबे 4.16 बीघा भू–भाग का बिकाव प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख किया जाना बताया है। इस प्रकार यह एक निर्विवाद तथ्य है कि स्व. पन्ना जी कीर को भू–आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति नही होकर, स्वअर्जित जायदाद की श्रैणी में आती है। जिसका एकल स्वामित्व आवंटी का ही माना जाता है। उसी अधिकर के तहत आवंटी ने सम्पूर्ण कृषि भूमि का अन्यत्र बिकाव किया था। जो उनका वैधानिक अधिकार था। वादीगण ने स्व. श्री पन्ना जी कीर द्वारा उनके जीवनकाल में किए गये रजिस्टर्ड बिकाव को बैअसर/शून्य प्रभावी घोषित किए जाने की वांछना की है। इस वांछना का श्रवणाधिकार/क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नही होकर माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त होता है। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण न्यायिक भूल कारित कर, वादीगण ने यह राजस्व वाद दोषयुक्त प्रस्तुत किया है। जो कतई पोषणीय नही होकर श्रीमान न्यायालय में चलने योग्न नही है। अतः राजस्व वाद को इसी स्तर पर भारी हर्जे/खर्चे के साथ खारिज किया जाना फरमावें। वादीगण की और से उनके नियुक्त अधिवक्ता दौराने बहस गैरहाजिर पाये गये, वादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही रहे। अतः प्रार्थना का जवाब का अवसर बन्द किया जाकर एक पक्षीय बहस सुनी गई। मेने प्रतिवादी संख्या 01, 02 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को/दलीलों पर चिंतन/मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र तथा समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव विश्लेषण किया तदुपरान्त न्यायालय प्रतिवादी पक्ष की दलीलों से सहमत है कि वादपत्र के माध्यम से तथाकथित पंजीकृत बिकाव पत्रों को	

उपखण्ड अधिकारी
हमी... (ज.)

Scanned with ACE Scanner

बैअसर/शुन्य प्रभावी घोषित किए जाने की इम्दाद वादीगणों ने इस अदालत से चाही है, जो निसंदेह कानूनी क्षेत्राधिकार से परे है।वादीगण द्वारा चरण संख्या 01 में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात पन्ना/गणेश कीर को आंवटित हुई बताई गई। तथा वाद की चरण संख्या 06 में वादग्रस्त आराजीयात पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत अनुतोष चाहा गया है। जो पेतृक सम्पति पर लागू होता है। वाद की चरण संख्या 01 व 06 परस्पर विरोधाभासी है। अतः वादपत्र दोषयुक्त है तथा निर्धारित कानुनी प्रावधानों के अधीन नही है। इसके साथ ही वादी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन करने पर पाया गया कि जमाबंदी वर्ष 2036–2039 के अनुसार प्रतिवादी को आंवंटित स्वअर्जित आराजियात का उपयोग उपभोग दोहन व विक्रय करने में स्वंतत्र है। इस अदालत के लिए कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं या अधिकारों की परीधि रेखा से बाहर जाकर किसी भी प्रकार निर्णय किया जाना न्यायिक दृष्टि से संगत नही है। वादीगणों ने अपने वादपत्र के दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन करने में कानूनन भूल की है। और यदि दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन गलत है तो उस दशा में बिनाय/कारण वाद का भी अभाव होना दावें माना जाता है। ऐसी स्थिति में दावें को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(घ) जा. दी. निहित प्रावधानो की व्याख्या करने में प्रतिवादी संख्या 01, 02 पूर्णतया सफल रहे है। लिहाजन राजस्व वाद कानूनन काबिले निरस्तगी के है।

–:: आदेश ::–

प्रतिवादी संख्या 01, 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया सहिता दिनांकित 20.06.2024 को स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत इस मौजूदा राजस्व वादपत्र प्रकरण संख्या 07/2023 को पोषणीय नही मानते हुए इसी स्तर पर निरस्त/खारिज किए जाने की आज्ञा अदालत प्रदान करती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मीरगढ़ (राज.)

Scanned with ACE Scanner